


16/2/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित
पैरीकाल सत्कार उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार
राहुवास इस आशय की प्राप्त हुई की मौक पर
उपक्रमी द्वारा कल्ला। उपक्रमी हटा लिया गया।
अतः प्रकरण की चलाने का कोई अधिकार नहीं रह
जहाँ से अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर हाथिल दफ्तल है।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
हालसोट (बीसा)